(332)

निग0-03050/2018/रीवा/भू.रा0

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कोर्ट कैम्प रीवा (म0प्र0)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विजोपित / विलोपित

लालजी तिवारी तनय स्व0 श्री बैजनाथ तिवारी उम्र 58 वर्ष पेशा शासकीय सेवक निवासी ग्राम सगरा, तह0 हुजूर,जिला रीवा (म0प्र0)——**निगरानीकर्ता**

बनाम

1— श्रीमती **कृष्णादेवी** धर्मपत्नी श्री वंशपती तिवारी उम्र 45 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम सगरा , तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

2— बेबा **गुलबिया पत्नी** स्व0 श्री श्रीनिवास तिवारी उम्र 61 वर्ष पेशा घरूकार्य , निवासी ग्राम सगरा, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

3— रामजी तिवारी तनय स्व0 श्री श्रीनिवास तिवारी उम्र 39 वर्ष पेशा खेती, निवासी ग्राम सगरा, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

4— रामगोपाल तिवारी तनय स्व0 श्री निवास तिवारी उम्र 33 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम सगरा तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

5— वंशपती तनय स्व0 श्री बैजनाथ तिवारी उम्र 49 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम सगरा, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

6— शंखी पुत्री बैजनाथ तिवारी धर्मपत्नी स्व0 श्री रंगेश कुमार अग्निहोत्री उम्र 62 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम पड़रा , तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

7— धन्नू पुत्री स्व0 श्री बैजनाथ प्रसाद तिवारी धर्मपत्नी श्री दद्दी प्रसाद अग्निहोत्री उम्र 60 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम मऊ, तह0 सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

लालजी तिवारी

8– रज्जू पुत्री बैजनाथ प्रसाद तिवारी धर्मपत्नी शम्भू प्रसाद अग्निहोत्री उम्र 54 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम मऊ, तह0 सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0) ––––गैर निग0कर्तागण

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण लालजी तिवारी बनाम कृष्णादेवी वगैरह प्र0क0 338/अ–27/2016–17 आदेश दिनांक 05/02/2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैः–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह0 हुजूर, जिला रीवा का आदेश दिनांक 05/02/2018 विधि व विधि प्रक्रिया के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि तहसीलदार तह0 हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण गेदिया बनाम कृष्णा देवी प्र0क0 51/अ–26/1997–98 आदेश दिनांक 22/06/1998 में निगरानीकर्ता को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा उसे न्यायालय तहसीलदार द्वारा सम्मन जारी नहीं किया गया था, जिस कारण निगरानीकर्ता को तहसील के उक्त प्रकरण व आदेश की जानकारी नहीं थी तथा निगरानीकर्ता तहसील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था, तहसील न्यायालय द्वारा धारा 178 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत विभाजन हेतु बने नियम क0 2 के तहत प्रारूप ख में उद्घोषणा का प्रकाशन सार्वजनिक रूप से नहीं कराया गया था, केवल गैर निगरानीकर्ता क0 1 कृष्णा देवी व उसके पति वंशपती के हस्ताक्षर कराये गये थे। जिस कारण से गांव के अन्य लोगों को भी तहसीलदार के उक्त प्रकरण व आदेश व कार्यवाही की जानकारी नहीं हो सकी थी। तहसीलदार के आदेश की

लालजी तिवारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R.3050/2018 / भू–रा0 जिला–रीवा

लालजी तिवारी / कृष्ण देवी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दयानन्द तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 338 / अ–27 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	